

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.08/स्थाईकरण/जोन-कोटा/279

दिनांक 24/08/23

शुद्धिकरण आदेश

निम्नांकित कार्मिकों को निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33.लैब टेक्नीशियन. सीधी भर्ती . 2020.एफ-1612 /2021/288 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। इनके द्वारा लैब टेक्नीशियन के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि (**probation period**) इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद बतायें जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित/स्थाईकरण करते हुये इन्हें परीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1) एफ.डी.(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में लैब टेक्नीशियन पद की पे मैट्रिक्स एल-8 में न्यूनतम वेतन रूपये 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन स्थान	निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/दिनांक	वंछित शुद्धिकरण
1.	सचिन सुवालका, लैब टेक्नीशियन	263 दिनांक 10. 08.2023	कार्मिक का पदस्थापन स्थान जिला कोटा के स्थान पर जिला बारां तथा जन्म तिथि 09.08. 1988 के स्थान पर 09.08.1998 पढ़ा जावें।

शेष आदेश यथावत।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.08/स्थाईकरण/जोन-कोटा/279

दिनांक 24/08/23

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को अपलोड वास्ते।
4. आदेश पत्रावली।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर